सीएए हिंसा की आज जांच करेगी मानवाधिकार आयोग

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/meerut/story-human-rights-commission-to-investigate-caa-violence-today-4732044.html

करीब दो साल पूर्व मेरठ शहर में हुए नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) को लेकर हुई हिंसा आदि की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम सोमवार से जांच करेगी। टीम उन अधिकारियों, मजिस्ट्रेट आदि से पूछताछ करेगी। मौका-मुआयना भी किया जाएगा। टीम सोमवार से सात अक्तूबर तक मेरठ में रहकर जांच करेगी। बयान आदि दर्ज करेगी। मानवाधिकार आयोग की जांच से पुलिस, प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आयोग की सूचना पर डीएम के.बालाजी ने संबंधित अधिकारियों को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं।

दो साल पूर्व दिसंबर 2019 में हुई सीएए को लेकर मेरठ में भारी हिंसा हुई थी। हिंसा की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई थी। आगजनी और गोलाबारी में लाखो की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। पुलिस, प्रशासन ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा समेत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिले के विभिन्न थानों में 23 मुकदमे दर्ज किये गये थे। करीब 100 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। अब भी कई मुकदमे चल रहे हैं।

सीएएस के खिलाफ हिंसा को लेकर मानवाधिकार आयोग में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। कई लोगों ने पुलिस फायरिंग तो कई लोगों ने अनावश्यक हिरासत में लिये जाने की शिकायत की है। इन शिकायतों का संज्ञान लेकर आयोग के चेयरमैन ने दर्ज मामले में एसएसपी अनुपम शर्मा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। टीम सोमवार को मेरठ आ रही है। सीएए हिंसा की जांच के लिए मानवाधिकार आयोग ने मेरठ में ही कैंप कार्यालय का आदेश दिया है। चार से सात अक्तूबर तक जांच होगी। आयोग के इस जांच को लेकर रविवार को पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। मौका-मुआयना भी किया जाएगा।

TV9 EXCLUSIVE: हिरासत में मौत (अंतिम)-खाकी के 'लोक-सेवकों' की प्रताड़ना से 'खौफनाक-मौत' की रुह कंपाती कहानियां

https://www.tv9hindi.com/crime/custodial-death-in-india-manish-gupta-case-national-human-right-commission-nhrc-847936.html

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के थाना रामगढ़ताल पुलिस की हिरासत में हाल ही में एक कानपुर के व्यापारी (प्रॉपर्टी डीलर) मनीष गुप्ता (Manish Gupta Murder) की कथित रूप से मौत हो गई. हिरासत में हर मौत के बाद जैसा होता है वैसा ही इस मौत के मामले में भी हुआ, यानी परिवार वालों ने पुलिस पर हिरासत में मार डालने का आरोप लगाया. जिसके बाद, उनके (पुलिससकर्मियों) खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

पुलिस हिरासत में पिटाई से हुई मौत के सभी आरोपी थानाध्यक्ष जगत नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा, सब इंस्पेक्टर विजय यादव (तीनों मुकदमें में नामजद) सहित छह पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए. अमूमन ऐसे मामलों में पुलिस पीड़ित पक्ष का दबाव बढ़ने के चलते घटना के शुरुआती दौर में यही सब कसरत करती है.

मनीष गुप्ता की हिरासत में हुई मौत के मामले में तीन अन्य पुलिसकर्मियों सिपाही कमलेश यादव, प्रशांत कुमार और राहुल दुबे को फिलहाल "अज्ञात" की श्रेणी में रखा गया है. हालांकि मामले को जिला पुलिस के गले की हड्डी बनता देख अफसरों ने इन तीनों ही आरोपियों सहित 6 को सस्पेंड भी कर दिया है. यहां भी वही कसरत की जाएगी जो देश के अन्य थाने-चौकी, जेलों के भीतर होने वाली न्यायिक या पुलिस हिरासत में मौत के मामलों के बाद की जाती है.

NHRC की सालाना रिपोर्ट के आंकड़े
मतलब मुकदमा दर्ज हो गया. राज्य पुलिस देर-सबेर मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजेगा. आयोग चाहेगा तो अपनी टीम भेजकर घटना की जांच कराएगा. हालांकि जब तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच रिपोर्ट तैयार करेगा. उससे पहले ही राज्य की हुकूमत ने मनीष गुप्ता की गैर-कानूनी पुलिस हिरासत में मौत की जांच, सीबीआई के हवाले करने को हरी झंडी दे दी.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2017-2018 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक,"एनएचआरसी हर साल औसतन 1 लाख शिकायतों/मामलों का निपटारा-पंजीकरण अपने यहां करता है. इनमें मानवाधिकार उल्लंघन, न्यायिक या पुलिस हिरासत में हुई मौत, हिरासत में बलात्कार, पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौत अर्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौत से संबंधित शिकायतें प्रमुख

रूप से शामिल होती हैं. साल 2017-2018 के दौरान (एक वर्ष में) आयोग को 77589 शिकायतें मिली थीं. जारी रिपोर्ट वाले साल में आयोग के रैपिड एक्शन सेल ने 515 मामलों को त्वरित एक्शन लेकर निपटाया था." यह सब तो वो आंकड़ें हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य-कलापों को दिखाते बताते हैं.

खाकी वर्दीधारी 'लोक सेवकों' के लोमहर्षक किस्से

आईए अब जानते हैं खाकी वर्दी वाले लोकसेवकों (पुलिसकर्मियों द्वारा थाने-चौकी में हिरासत में मार डाले गए लोगों के मामले) द्वारा कथित रुप से पुलिस हिरासत में बंद निरीह लोगों को मार डाले जाने संबंधी मामले और जेल की उन चार-दीवारों में बेमौत मार डाले गए वहां बंद निरीह लोगों की कुछ रूह कंपाने वाली खौफनाक कहानियां, जिन जेलों के बारे में दावा किया जाता है कि उनकी ऊंची दीवारों में परिंदा भी 'पर' नहीं मार सकता है. इन दिल दहलाने वाले उदाहरणों की तलाश में हिंदुस्तान के किसी दूर-दराज, बेहद पिछड़े या ग्रामीण इलाके में जाने की जरूरत नहीं है. दिल्ली में स्थित एशिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल और उसके थाने चौकी पर ही नजर डाल लेना काफी होगा.

आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त 2015 को तिहाड़ जेल में 28 साल के विचाराधीन कैदी दीपक की मौत हो गई. दीपक 22 मार्च 2013 को जेल में न्यायिक हिरासत में ले जाकर बंद किया गया था. दीपक की हत्या जेल में उसके साथ बंद कुछ कैदियों ने ही हमला करके कर दी थी. सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जैसी चाक-चौबंद जेल की ऊंची चार-दिवारी के भीतर ही दीपक के ऊपर हमला करके उसके बदन पर 18 गंभीर घाव पहुंचाए गए थे. जांच में सीधे सीधे जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी. लिहाजा आयोग ने दीपक की मौत की कीमत मुआवजे के रूप में 2 लाख रूपए तय कर दी. साथ ही 21 फरवरी 2018 को आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भी कारण बताओ नोटिस भिजवा दिया.

दूर मत जाईए दिल्ली का ही सच देख लीजिए

देश की राजधानी दिल्ली के बिंदापुर थाना पुलिस की हिरासत में 26 मई 2014 को मनोज राणा की मौत की खबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिली. आरोप था कि मनोज राणा को बिंदापुर थाने के पांच पुलिस वाले जबरिया घर से उठाकर मटियाला पुलिस चौकी में ले गए. खाकी के लोक-सेवकों (बिंदापुर थाने के कुछ पुलिसकर्मियों) की खौफनाक पिटाई/अत्याचार से मनोज राणा की मौत हो गई. मनोज राणा के शव पर गंभीर चोटों के 20 घाव मिले थे. न्यायिक जांच में साबित हो गया कि मनोज राणा की मौत दिल्ली पुलिस (बिंदापुर थाने के आरोपी पुलिसकर्मियों) के कुछ बेकाबू पुलिस कर्मियों की क्रूरता का परिणाम थी. आयोग ने उस मामले में मनोज राणा के परिवार को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

आयोग को छानबीन के दौरान पता चला कि मनोज राणा की लाश को आरोपी पुलिस वाले अपनी गर्दन बचाने के लिए बाद में दिल्ली के दीन दयाल उपायध्याय अस्पताल में लावारिस हाल में फेंक आए थे. जिस अल्टो कार में पुलिस वाले मनोज राणा की लाश दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाई गई, वो कार हरियाणा में पंजीकृत पाई गई. पुलिस हिरासत में प्रताड़ना या फिर पुलिस की प्रताड़ना के बेकसूरों की जान जाने या विकलांग हो जाने के मामले देश के किसी भी थाने चौकी जेल से सामने आते रहते हैं. इसकी पुष्टि भी आयोग के ही रिपोर्टों से होती है. महाराष्ट्र राज्य से आयोग के पास किसी अंजू रमेश यादव ने शिकायत की थी.

लोक-सेवकों की लापरवाही ने लील लिया परिवार
शिकायतकर्ता ने कहा था कि निर्दोष होने के बाद भी उसके भतीजे फूलेश्वर यादव को पुलिस ने गैर-कानूनी हिरासत में बंद रखा. हरियाणा राज्य पुलिस भी इस मामले में बाकी राज्यों की तुलना में किसी से पीछे या कमतर नहीं है. वो हरियाणा पुलिस की प्रताड़ना का ही रिजल्ट था जब बलात्कार पीड़िता के पूरे परिवार को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ गया था. उस घटना में परिवार में सिर्फ एक ही शख्स जीवित बचा था. पीड़िता के पिता ने बलात्कार पीड़िता बेटी को न्याय न मिलने और तिरस्कार, कलंक, अपमान के चलते पूरे परिवार को जहर खिलाकर खुद की भी जान दे दी.

बेटी का पिता इस बात से कुपित था कि उनकी बलात्कार पीड़ित लड़की के आरोपियों को पुलिस के निकम्मेपन के चलते अदालत से रिहा कर दिया गया था. आयोग ने अपनी जांच में साबित कर दिया था कि बलात्कार की शिकार पीड़िता, पुलिस के ढीलेपन के चलते घटना के बाद अचानक ही गायब हो गई. जिसे (बलात्कार पीड़िता को) अंत तक (कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान) थाना उकलाना, हिसार की पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकी. जिसका खामियाजा पीड़ित परिवार को ही भुगतना पड़ा.

बेटी के बलात्कारियों की कोर्ट से रिहाई के रूप में उस लोमहर्षक हादसे के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीधे-सीधे हरियाणा पुलिस के संबंधित कुछ आला-अफसरों को ही जिम्मेदार ठहराया था. आयोग ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि क्यों न पुलिस के इस लापरवाहीपूर्ण कृत्य के लिए उस पर एक लाख रुपए का अर्थदण्ड डाला जाए.

HINDUSTAN, Meerut, 4.10.2021
Page No. 3, Size:(30.22)cms X (12.04)cms.

सीएए हिंसा: मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत, आज से सात अक्तूबर तक मेरठ में रहे

मानवाधिकार आयोग मेरठ में करेगा

हिन्दुस्तान ब्रेकिंग

मेरठ | राकेश प्रियदर्शी

करीब दो साल पूर्व मेरठ शहर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुई हिंसा आदि की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम सोमवार से जांच करेगी। टीम उन अधिकारियों, मजिस्ट्रेट आदि से पूछताछ करेगी। मौका-मुआयना भी किया जाएगा।

टीम सोमवार से सात अक्तूबर तक मेरठ में रहकर जांच करेगी और बयान आदि दर्ज करेगी। मानवाधिकार आयोग की जांच से पुलिस, प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आयोग की सूचना पर डीएम के.बालाजी ने संबंधित अधिकारियों को जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं।

दो साल पूर्व मेरठ में हुई हिंसा में भारी आगजनी हुई थी। ● फाइल फोटो

दो साल पूर्व मेरठ में हुई थी भारी हिंस

दो साल पूर्व दिसंबर 2019 में हुई सीएए को लेकर मेरठ में भारी हिंसा हुई थी। हिंसा की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई थी। आगजनी और गोलाबारी में लाखों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। पुलिस, प्रशासन ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा समेत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिले के विभिन्न थानों में 23 मुकदमे दर्ज किए गए थे। करीब 100 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। अब भी कई मुकदमे चल रहे हैं। सीएएस के खिलाफ हिंसा को लेकर म उत्पीड़न की लोगों ने पुलि ने अनावश्य की शिकाय का संज्ञान ने दर्ज माम शर्मा के नेतृ टीम का गठ को मेरठ आ जांच को ले प्रशासन के मचा रहा।

HERALD, Goa, 4.10.2021
Page No. 4, Size:(2.90)cms X (10.87)cms.

NHRC invites entries for short film competition

Team Herald

PANJIM: The National Human Rights Commission has opened entries for its sixth annual competition for short films on human rights.

The award money has been doubled this year with prize money of Rs 2 lakh; Rs 1.50 lakh and Rs 1 lakh for the best first, second and third film. Entries are invited online this year.

The aim of the award scheme is to encourage and acknowledge cinematic and creative efforts of the Indian citizens, irrespective of their age, towards the promotion and protection of human rights.

The short films may be in any Indian language with sub- titles in English or in Hindi.

Duration of the short film should not be less than 3 minutes or more than 10 minutes. The last date for receiving entries is October 15 and has to be sent online at nhrcshortfilm@gmail.com, using the Google drive folder. A copy of the terms and conditions of the scheme and application form can be downloaded from the NHRC website: www.nhrc.nic.in.

HINDUSTAN, Bareily, 4.10.2021
Page No. 6, Size:(6.55)cms X (9.99)cms.

मानवधिकार एसोसिएशन के गिरीश बने जिला सचिव

फतेहगंज पश्चिमी। राष्ट्रीय मानवधिकार एसोसिएशन की कस्बा में रविवार को बैठक हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष उमेश कुमार सिंह ने गिरीश कुमार मौर्य को जिला सचिव, अनिल कुमार सिंह को जिला उपाध्यक्ष एवं इंद्रजीत सिंह को जिला कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। बैठक में राजेश कुमार दिवाकर, निर्दोष सिंह, अजय कुमार सिंह, सुनील पांडेय आदि मौजूद रहे।